

( आ० २० नियम ६ / जा० सं० १० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भोलवाड़ा तहसील  
वईजलास श्री कुलवाणील शिंदे चौखाना ( आ० सं० १०/२६६ )

अगवान प्रकरण

श्री हीरा ज० श्री फाल्गु जाट निवासी - चारखेड तहसील - माण्डल

पुनामि

- १. श्री नारायण ज० श्री माधू जाट निवासी - चारखेड तहसील - माण्डल
- २. श्री पारस ज० श्री माधू जाट " "
- ३. श्री देवीलाल ज० श्री माधू जाट " "
- ४. श्रीमती प्रेम पी. श्री माधू जाट " "
- ५. श्रीमती उगमी पी. श्री माधू जाट " "
- ६. श्री मिठू ज० श्री शरा जाट " "
- ७. श्री गोपाल ज० श्री शरा जाट " "
- ८. जेती पी. श्री शरा जाट " "
- ९. श्रीमती चोटीवेवा शरा जाट " "
- १०. राजस्थान राज्य वारिये तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल
- ११. वैंडीदा राजस्थान ग्रामीण बँक शाखा कुलवाणी तहसील - माण्डल

प्रमाण

वाद अन्तर्गत धारा ५३ मुकदमा न० / वर्ष २३३॥६ निर्णय दिनांक ३१-५-१९

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत प रिजरी दर्जल गये  
निनजानिव मुददई श्री कुलीदार जोररी A-14 नजामिब मुदावला पर शरक मुद  
दिया जाता है कि डिफ्री दो जाती है कि वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकर  
क्रिया जाकर आपेश दिया जाता है कि ग्राम चारखेड पवार हल्का चारखेड  
तहसील माण्डल अस्थित आराजियत वादी एव प्रतिवादीजण सं. ०१ से ०३  
के नाम दर्ज कीजावे। बैंक रजम थाबावत रहेगा।

१. श्री हीरा ज० श्री फाल्गु जाट निवासी - चारखेड तहसील - माण्डल सा-फेट खातेदार

आरजी सं०      रकवा      किरम


१९१/१      १.०० बीघा      वजंड

---

खिता ०१ रकवा १.०० बीघा वजंड

→ लगातार →

आज तारीख ३१-५-१९ का नर हरकतपर न. न्यायालय श्री माधू ज. ज. की  
गई।



उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भोलवाड़ा

② नारायण, पारस, देवीलाल ज० मांग्रे, नानु, प्रेमी, रामरुपा, मन्डु १/० मांग्रे, उमर्मा  
 मल्की मांग्रे १/२, मीरू, गोपाल ज० भूरा, जेती १/० भूरा चाब्दी वेवा भूरा  
 १/२ जाट सा-डेह खातेदार

<u>आरजी सं.</u>	<u>रकबा</u>	<u>किस्म</u>
791	1-00 बीघा	बजड
791/3	1-00 बीघा	बजड
किता 02 रकबा 2-00 बीघा		बजड

③ हरि ज० कल्लू 1/3, नारायण, पारस, देवीलाल ज० मांग्रे, नानु, प्रेमी, रामरुपा,  
 मन्डु १/० मांग्रे, उमर्मा ५५० मांग्रे 1/3 मीरू, गोपाल ज० भूरा, जेती १/०  
 भूरा, चाब्दी वेवा भूरा १/२ जाट सा-डेह खातेदार [शामलार्ती]

<u>आरजी सं.</u>	<u>रकबा</u>	<u>किस्म</u>
791/2	0-10	बजड
किता 01 रकबा 0-10		बजड

उक्तानुसार अमि वार्दी संव प्रतिवाहीगण 01 अगायत 09 के नाम  
 तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मै दर्ज करे।

शर्चा फरिक्तेम अपना अपना वहम करे।

उपखण्ड अधिकारी  
 मांडल जिला भीलवाड़ा